उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक १६.११.२००० को सम्पन्न हुई १७८वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

दिनांक १६.११.२००० को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

१–	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
२–	श्री आर०के० मित्तल आवास आयुक्त	सदस्य
३–	श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव आ०दा०रू, प्रतिनिधि सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य
४–	अमिताभ त्रिपाठी, अनुसचिव आवास	
५–	श्री पी०सी० जैन, मुख्य अभियन्ता, जल निगम प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
६–	श्री सी०पी.०शर्मा, नगर नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश ।	सदस्य
७–	श्री एस०के० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
८–	श्री दिनेश चन्द्र शुक्ल, अपर आवास आयुक्त	सचिव

विशेष आमंत्री के रुप मे

१–	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
२–	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
३–	श्री एस०बी० अग्रवाल, विधि परामर्शदाता	

Virendra(8)

बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

क्रमांक	विषय	निर्णय
1	2	3
1-	परिषद की १७७वीं बैठक दिनांक [illegible].२००० के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	१७७वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि बिन्दु–५ के अतिरिक्त की गयी । बिन्दु–५ के सम्बन्ध में उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन को फिलहाल स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसमें मुख्य अभियन्ता, मुख्य वास्तुविद नियोजक एवंजिला मजिस्ट्रेट मेरठ के प्रतिनिधि कोभी सम्मिलित किया जायेगा। इस समिति द्वारास्थल निरीक्षण के उपरांत समग्र तथ्यों पर विचारकरते हुए आख्या यथाशीघ्र प्रेषित की जायेगी जिसके आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
2-	परिषद की १७७वीं बैठक दिनांक १६.११.२००० की अनुपालन आख्या ।	अवलोकित ।
3-	परिषद की ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, मेरठ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या ए–१२ व ए–१८ के पुर्न–जीवन के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत
4-	महादेव झारखण्डी योजना, गोरखपुर के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	विशेष सचिव (आवास) श्री संजय भूसरेड्डी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि पुनरीक्षित, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणियां स्पष्ट होनी चाहिये। जिनमें पुनरीक्षित स्वीकृतियों के लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक कारणों का स्पष्ट रुप से उल्लेख हो। इसके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा नियोजन का कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में चरणवार कार्यक्रम तैयार किये जायें तथा इस सम्बन्ध में जो निर्धारित फार्मूला/नार्म्स हों, उसके अनुरुप स्वीकृतियां प्राप्त की जायें । यह भी निर्णय लिया गया कि जो योजनाएं तीन वर्ष से अधिक पुरानी हैं और उसमें अभी २५ प्रतिशत से अधिक कार्य बकाया हो, उन्हें

V.Kumar(Sheet.8)

18.11.20

20.11.2000

		सूचीबद्ध कर लिया जाये तथा उनका मूल्यॉकन (Evaluation) करते हुए अन्तिमरुप से पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव आगामी परिषद बैठकों में यथाशीघ्र रखे जायें । इन प्रस्तावों में, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, सभी तथ्यों का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय। प्रस्तुत प्रस्ताव को इस योजना की अन्तिम स्वीकृति मानते हुए अनुमोदित किया गया ।
5-	योजना संख्या–१ कानपुर के सेक्टर एच० एवं आई० में सड़कों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	बिन्दु संख्या–४ में वर्णित प्रतिबन्धों के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि यदि इस कार्य का एवार्ड हुआ हो तो ब्रिक सोलिंग को संज्ञान में लेते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जाय ।
6-	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	यह निर्णय लिया गया कि इसके अन्तर्गत जिन कार्यो हेतु स्वीकृतियां प्राप्त की जा रही है, उनको आगामी ५ वर्षो में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा इसके लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तर दायी होगें । शेष बिन्दु–४ के अनुसार ।
7-	दूरसंचार विभाग को आवंटित भूखण्ड के लीजरेन्ट व फी–होल्ड चार्जेज दो माह देर से भुगतान करने पर दण्ड ब्याज रु० ४११६०.०० माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	अवलोकित ।
8-	चेरिटेबुल संस्थाओं को आवंटित भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
9-	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में जैनदर्शन पर आधारित अध्यात्मिक केन्द्र के निर्माण हेतु दिगम्बर जैन समिति को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
10-	परिषद की योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों को भूतल पर भवन आंवटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	यह निर्णय लिया गया कि विकलांगों के लिये उपलब्ध आरक्षण (३ प्रतिशत) की सीमा तक भूतल के भवनों हेतु वरीयता दी जाय ।
11-	परिषद की योजनाओं में आवंटित सम्पत्ति को खून के रिश्तों में संयुक्त नाम से किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि हडको की आय सीमा का प्रतिबन्ध न रखा जाय तथा संयोजन शुल्क के रुप में सम्पत्ति के कुलमूल्य का ५ प्रतिशत लिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि अन्तरण शुल्क के रुप में अब तक प्राविधानित १०% के स्थान पर ५% प्रतिशत धनराशि ली जाय

V.Kumar(Sheet.8)

18.11.2011

20.11.2011

12- धुलाई भत्ता में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जाय । तीन माह के अन्दर शासन की अनुमति प्राप्त न होने पर परिषद इस सम्बन्ध में पुनः विचार करेगी ।
13- चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	शासन को संस्तुति सहित संदर्भित करने का निर्णय लिया गया ।
14- विश्व मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु श्री गिरिवर शंकर तिवारी, आशुलिपिक को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
15- इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर–१८ में निर्मित सामुदायिक केन्द्र तथा पार्क का नाम मेजर रितेश शर्मा के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
16- कुर्सी रोड (विकास नगर) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम शेखापुर के खसरा संख्या–४१ की भूमि का आसुधार शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
17- इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत समाविष्ट खसरा संख्या–६३/१६ श्री लीलानन्द जोशी की भूमि के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–६७ में प्रस्तावित आवास आयुक्त की अध्यक्षतामें गठित समिति को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
18- राजाजीपुरम योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बिहारीपुर में स्थित खसरा संख्या २०६, २०७, २०८, २०६, २१० एवं २११ की भूमि के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–१७ पर लिये गये निर्णयानुसार ।
19- इन्दिरा नगर (बस्तौली–गाजीपुर) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सईदुन्निसा के खसरा संख्या ५६४/३स श्री राम नारायण श्रीवास्तव की भूमि के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–१७ पर लिये गये निर्णयानुसार ।
20- परिषद की बेतियाहाता पूर्वी योजना, गोरखपुर में समाविष्ट खसरा संख्या ३२५ व ३३० के आंशिक भाग को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
21- परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या –१ हल्द्वानी जनपद नैनीताल में स्थित हिमालया विद्या मन्दिर की भूमि के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–१७ पर लिये गये निर्णयानुसार ।
22- खुर्जा पहासू मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–२, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की अभिनिर्णीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि आपसी समझौते से निर्धारित रु० १०६.०० प्र०व०ग० की दर से प्रतिकर का भुगतान	मद संख्या–६० पर लिये गये निर्णयानुसार ।

V.Kumar(Sheet.8)

18.11.2000

20.11.2000

	किये जाने के सम्बन्ध में ।	
23-	रावली रोड योजना बिजनौर के विकास कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	मद संख्या–४ पर उल्लिखित टिप्पणी/अभिमत के साथ अनुमोदित ।
24-	वृन्दावन योजना संख्या–१ भाग–१ लखनऊ में ट्रंक वाटर सप्लाई के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।	मद संख्या–४ पर उल्लिखित टिप्पणी/अभिमत के साथ अनुमोदित ।
25-	माधवपुरम योजना संख्या–१० मेरठ के सेक्टर–२ के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य १२/२००१ तक पूर्ण हो जाने तथा इस कार्य के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने का तथ्य परिषद के संज्ञान में लाया गया तथा तद् नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी । शेष मद संख्या–४ पर लिये गये निर्णयानुसार ।
26-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में श्रीमती किरन बाला रस्तोगी ने आवंटित डुप्लेक्स भवन संख्या १५/६६ में दण्ड ब्याज की माफी हेतु प्रत्यावेदन दिया है। आवास आयुक्त द्वारा दिनांक १२.८.२००० को प्रकरण को परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है।	सम्यक विचारोपरांत विशेष परिस्थितियों में अति–रिक्त ब्याज की धनराशि रु० १,०२,५८७.०० को माफ करते हुए किश्तों के विरुद्व समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
27-	श्रीमती हेमा काण्डपाल को जिगर विहार मुरादाबाद स्थित भवन संख्या ए–१३५ के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि भवन मूल्य का २५ प्रतिशत अथवा रु० ५०,०००.०० जो कम हो तक की सीमा तक छूट प्रदान कर दी जाय ।
28-	मेजर महेश चन्द, शौर्य चक्र विजेता को वृन्दावन योजना में एक भूखण्ड आधे दाम पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया ।
29-	श्रीमती साधना जगदीश के पक्ष में लोहिया नगर योजना में प्रदिष्ट भवन संख्या ११/३२४ के विरुद्व दिये गये प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में ।	भवन के कुल सूचित मूल्य में से रु० ७०,०००.०० माफ करने का निर्णय लिया गया ।
30-	परिषद की बुद्वि विहार योजना मुरादाबाद में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित १२ विवादित भवनों के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि अवशेष भुगतान १४.५ प्रतिशत ब्याज सहित दिनांक ३०.६.२००० के स्थान पर दिनांक ३१.१.२००१ तक करना होगा ।
31-	परिषद के स्वीकृत मदों पर शासन द्वारा उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में ।	सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखा गया ।

V.Kumar(Sheet.8)

18.11.2000

20.11.2000

32- वाहन चालक पदों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।	पदों के वृद्धि सम्बन्धित प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है। शासन को इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ।
33- अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
34- वास्तुविद सहायक ग्रेड–प्रथम के सेवा विनियम की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	विचार–विमर्श के दौरान यह मत व्यक्त किया गया कि परिषद में विभिन्न सेवा संवर्गों के सम्बन्ध में भिन्न–२ सेवा विनियमावलियां बनाई गयी हैं जिससे विसंगतियां एवं भ्रम की सम्भावना बनी रहती है अतः उचित होगा कि इन नियमावलियों की संख्या यथा सम्भव कम की जाय । इस हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, वित्त नियंत्रक, विधि परामर्शदाता एवं अनु सचिव (आवास)। संयुक्त आवास आयुक्त, (प्रशा०) इसके संयोजक सदस्य होगें । यह समिति फरवरी–२००१ तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
35- परिषद में कार्यरत सहायक निदेशक उद्यान सवर्ग के सेवा विनियम की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–३४ पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।
36- शासनदेश दिनांक २० मार्च, ६१ से प्रख्यापित सरकारी ज्येष्ठता नियमावली–१६६१ के प्राविधानों की परिषद अधिष्ठान में अंगीकृत करने के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–३४ में गठित समिति द्वारा इसका भी परीक्षण कर लिया जाय ।
37- डैड एण्ड वाली आवासीय सम्पत्तियों के साथ लगी भूमि पर छूट प्रदान किया जाना ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
38- इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर–१३ में विशिष्ट पार्क का विकास ।	अनुमोदित ।
39- छिबरामऊ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–१, छिबरामऊ के खसरा संख्या ३३७ के १/३ भाग अर्थात ४ डिस्मिल में बने श्रीमती उर्मिला देवी के भवन को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	विकास शुल्क लेते हुए आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया । शेष प्रस्तावानुसार ।
40- वृन्दावन योजना संख्या–२ में डिफेन्स सहकारी आवास समिति के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–६७ में गठित समिति को संदर्भित किया गया ।

V.Kumar(Sheet.8)

41-	परिषद द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं (१०० एकड़ तक) के चयन हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि जल निगम के स्थानीय प्रतिनिधि को भी उक्त समिति में सम्मिलित कर लिया जाय ।
42-	परिषद की बेतियाहाता (दक्षिणी) योजना गोरखपुर में १.६० एकड़ अर्जन से मुक्त की गयी भूमि की शर्तों में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि फ्री–होल्ड चार्ज जमा कराकर अनुमति दे दी जाय ।
43-	वृन्दावन योजना संख्या–२ में समाविष्ट ग्राम उतरठिया के खसरा संख्या ६२५ की १६१७.६० व०फ० भूमि पर श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री पोहारी राय द्वारा अवैध रुप से कब्जा की गयी भूमि पर अवैध निर्माण को हटाकर योजना के अन्तर्गत बी०आर०डी० भवन/५०–६० व०मी० भूखण्ड ५० प्र०श० मूल्य पर आवंटित कर योजना में समायोजित करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
44-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजना सं०–१ बड़ौत में श्री शान्ति सागर धमार्थ अस्पताल की भूमि कें सम्बन्ध में ।	अनुमोदित । इस सम्बन्ध में नीति बनाने का भी निर्णय लिया गया ।
45-	परिषद की सिविल लाइन्स योजना संख्या–२ बदायूँ में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित खसरा संख्या–३११ ग्राम नेकपुर क्षेत्रफल ०–१२–० बीघा (१५०० व०मी०) को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–६७ के अनुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।
46-	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची (द्वितीय)	अवलोकित ।
47-	योजना संख्या–२ रामपुर में स्व वित्त पोषित परियोजना–२००० के अन्तर्गत २० नग ६५/२५३ प्रकार के फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव ।	अनुमोदित ।
48-	परिषद योजनाओं में विभिन्न संस्थाओं को उनके व्यवसायिक–कम–यूटिलिटी सर्विसेज के प्रयोग हेतु ले–आउट प्लान में आरक्षित भूखण्डों के आवंटन के के लिये बल्कसेल गाइड लाइन्स में प्राविधान के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
49-	परिषद की राजाजीपुरम योजना के सेक्टर–६ में इन्डोर स्टेडियम के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
50-	भरतपुरी योजना गोण्डा के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मद संख्या–४ पर उल्लिखित टिप्पणी/अभिमत के साथ अनुमोदित ।

V.Kumar(Sheet.8)

18.11.2000

20.11.2000

51-	दूर संचार विभाग को आवंटित भूखण्ड के लीजरेन्ट व फ्री–होल्ड चार्जेज दो माह देर से भुगतान करने पर दण्ड ब्याज रु० ४५१६०.०० माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	अवलोकित ।
52-	परिषद की शास्त्रीनगर योजना संख्या–३ मेरठ में श्री रामचन्द्र मिशन के पक्ष में आवंटित धार्मिक भूखण्ड संख्या आर–४ के सम्बन्ध में ।	विकल्प–२ अनुमोदित । यह भी निर्णय लिया गया कि त्रुटि हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाय ।
53-	ट्रान्स यमुना योजना प्रथम चरण आगरा में लिटिल एंजिल स्कूल आगरा हेतु आवंटित क्षेत्रफल ३२४६ वर्ग मीटर के अतिरिक्त शेष भू–भाग की भूमि दर के सम्बन्ध में ।	विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि आवंटन की तिथि के अनुसार ही भूमि दर ली जाय ।
54-	मूल्यांकन अधिकारी पद के ऑबिएन्स में क्रीडा अधिकारी पद के सृजन के सम्बन्ध में ।	मूल्यांकन अधिकारी के पद को समाप्त करते हुए क्रीड़ा अधिकारी के पद को सृजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन से अनुमति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।
55-	कार्यप्रभारित कर्मचारियों के प्रोन्नति वेतनमान, पदोन्नति के पद के वेतनमान से ज्यादा निर्धारित होने के कारण उत्पन्न विसंगति के सम्बन्ध में ।	अनुसचिव (आवास) द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है। अतः शासनादेश की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया ।
56-	कार्यप्रभारित कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में ।	सैद्वान्तिक रुप से अनुमोदित करते हुए इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।
57-	बहराइच खास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच को परित्याग करने के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–१७ पर लिये गये निर्णयानुसार।
58-	इज्जतनगर भमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या –६ बरेली को परित्याग करने के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–१७ पर लिये गये निर्णयानुसार।
59-	वृन्दावन याजना संख्या–२ में डिफेन्स सहकारी आवास समिति के सम्बन्ध में अनुपूरक टिप्पणी ।	मद संख्या–१७ पर लिये गये निर्णयानुसार।
60-	खुर्जा पहासू मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–२, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की अभिनिर्णीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि आपसी समझौते से निर्धारित रु० १०६.००प्र०व०मी० की दर से प्रतिकर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसके अन्य सदस्य वित्त नियंत्रक, मुख्य वास्तुविद नियोजक, मुख्य अभियन्ता एवं विधि परामर्शदाता होगें । संयुक्त आयुक्त (भूमि अर्जन) इसके संयोजक संदस्य होगें । यह समिति सभी

V.Kumar(Sheet.8)

18.11.2
20.11.2000

		तथ्यों का परीक्षण करते हुए अपनी स्पष्ट आख्या देगी । यह समिति बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी । उक्त आख्या परिषद के समक्ष विचारार्थ रखी जाय ।
61-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा योजना संख्या–३ गाजियाबाद में प्रतिकर वृद्दि हेतु किसानों द्वारा किये जा रहे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के बाहर समझौता (OUT OF COURT SETTLEMENT) के सम्बन्ध में ।	अवलोकित । इस सम्बन्ध में शासन के निर्देशों की प्रतीक्षा की जाय ।
62-	दिल्ली बुलंदशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद क्षेत्रफल ८३२ एकड़ एवं योजना की अनुमानित लागत लगभग रु० ३८२.२१ करोड़ ।	अनुमोदित ।
63-	अमरोहा योजना संख्या–२ में समाविष्ट खसरा सं०– ३७११ व ३७२० कब्रिस्तान भूमि के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–१७ पर लिये गये निर्णयानुसार।
64-	हापुड़ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या २ मोदीनगर को परित्याग करन के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
65-	कबीर नगर योजना वाराणसी में स्थित गाटा संख्या ७७६/४ में ७२४६ वर्ग फुट भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–१७ पर लिये गये निर्णयानुसार।
66-	हडको द्वारा कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम सेक्टर–३ मंगल पाण्डेय नगर मेरठ के संचालन हेतु स्वीकृत ऋण रु० १५४.०५ लाख की सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
67-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में व्यक्तिगत/संस्थाओं/ सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन हेतु मार्गदर्शक निर्देश निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।	सिद्वान्तः नीति से सहमति व्यक्त की गयी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर नीति में वर्णित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत निर्णय लेने के लिये एक समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी । इस समिति में आवास आयुक्त के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुख्य वास्तुविद नियोजक सदस्य होगें तथा संयुक्त आवास आयुक्त (भूमि) इसके संयोजक सदस्य होगे। इस प्रस्ताव पर शासन से भी अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।

18.11.2000

20.11.2000

68-	वर्ष १९९८–९९ की बैलेन्स शीट हेतु परिषद के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	९८–९९ की बैलेन्स शीट प्रस्तुत की गयी। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया ।
69-	परिषद सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु ब्याज दरों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
70-	अतिदेय किश्तों पर ली जाने वाली अतिरिक्त ब्याज (दण्ड ब्याज) की दर को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
71-	माधवपुरम योजना संख्या–१० मेरठ के सेक्टर–२ में स्वंय वित्त पोषित योजना २०००–बी के अन्तर्गत ७१/२४८ प्रकार के २६ नग सेमी फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव ।	अनुमोदित ।
72-	अन्य	बैठक में उपस्थित अनुसचिव, आवास द्वारा परिषद में मेडीक्लेम योजना लागू करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देश का उल्लेख किया गया । इस पर यह निर्णय लिया गया कि इस योजना की उपयुक्तता एवं व्यवहारिकता का शीघ्र अध्ययन करके अगली बैठक में उपयुक्त प्रस्ताव लाया जाय ।

अनुमोदित

26.5.2001

18.11.2000

20.11.2000

V.Kumar(Sheet.8)